

सचिका सं०-7/MCH-35-30/2026-27-

354/781

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०सं०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 27/08/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के विभिन्न 06 (छ) नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 1,56,68,750/- (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या-1017(1), दिनांक-30.11.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के विभिन्न 06 (छ) नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 1,56,68,750/- (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास) मात्र (अनुलग्नक-1 के अनुरूप) के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मा० सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0029-नर्सिंग कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210-05-105-0029 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में उपबधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकतनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सबधित संस्थान के अधीक्षक/प्राचार्य होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, सबधित प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए सबधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी सबधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सं०-7/MCH-35-30/2026-27 के पृष्ठ-12/टि० पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) सबधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

निश्वासभाजन,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

21

- 2 -

ज्ञापक - 7/MCH-35-30/2026-27- 354(7B)/स्वा0, पटना, दिनांक-27/08/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (वजट शाखा) बिहार, पटना/संबधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबधित जिला पदाधिकारी/संबधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/कोषागार पदाधिकारी, संबधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-संबधित अधीक्षक/प्राचार्य-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाए/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07वीं एव संबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

-3-

अनुलग्नक-1

विभिन्न सरकारी नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि-

क्रम सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि (रूपये में)
1	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, सारण, छपरा	10,00,000
2	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पूर्णियाँ	1,80,000
3	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया	14,88,750
4	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर	30,00,000
5	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा	50,00,000
6	बी०एस०सी०, नर्सिंग कॉलेज, एन०एम०सी०एच० पटना	50,00,000
	कुल-	1,56,68,750

354(7B)
24/08/2026

(रूपये एक करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास) मात्र

सरकार के अपर सचिव
27.8.26

7/MCH-35-30/2026 27

1/490463/2026